प्राथमिकता

संख्या-1/2025/I/945818/2025 (1858647)

प्रेषक,

दिलीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ: दिनांक 25-04-2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-4 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2853 (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-119/ए-4/2025, दिनांक 17.04.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अनुदान संख्या-4 के लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग -02 खानों का विनियमन तथा विकास-001 निदेशन तथा प्रशासन-03 खनन प्रशासन की योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 4996.65 लाख (रू0 उन्चास करोड छानबे लाख पैंसठ हजार मात्र), लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग -02 खानों का विनियमन तथा विकास-004 अनुसंधान तथा विकास-03-खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 3081.30 लाख (रू0 तीस करोड इक्यासी लाख तीस हजार मात्र) व लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02 खानों का विनियमन तथा विकास-004 अनुसंधान तथा विकास-06-खनिज विकास की योजनायें के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 62.00 लाख (रू0 बासठ लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 8139.95 लाख (रू0 इक्यासी करोड़ उन्तालीस लाख पन्चानबे हजार मात्र) नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्ष तथा उसकी व्यय की मदें	**वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्राविधानित धनराशि (रूपये लाख में)**	**वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति धनराशि (रूपये लाख में)**
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना-		
01-वेतन	1715.00	1715.00
02-मजदूरी	900.00	900.00
03-मंहगाई भत्ता	1029.00	1029.00
04-यात्रा व्यय	4.00	4.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.00	4.00
06-अन्य भत्ते	0.20	0.20
07-मानदेय	0.20	0.20

shasanadesh.up.nic.in

08-कार्यालय व्यय	7.00	7.00
09-विद्युत देय	34.00	34.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00	10.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50
13-टेलीफोन पर व्यय	6.25	6.25
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300.00	300.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	500.00	500.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	35.00	35.00
18-प्रकाशन	2.00	2.00
29-अनुरक्षण	20.00	20.00
42-अन्य व्यय	40.00	40.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	40.00	40.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00
49-चिकित्सा व्यय	25.00	25.00
51-वर्दी व्यय	0.50	0.50
55-मकान किराया भत्ता	113.00	113.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00	200.00
योग :- 001 (03) मतदेय	**4996.65**	**4996.65**

लेखाशीर्ष तथा उसकी व्यय की मदें	वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्राविधानित धनराशि (रूपये लाख में)	वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति धनराशि (रूपये लाख में)
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-03-खनिज अन्वेषण		
01-वेतन	1670.00	1670.00
02-मजदूरी	20.00	20.00
03-मंहगाई भत्ता	1062.00	1062.00
04-यात्रा व्यय	15.00	15.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
06-अन्य भत्ते	0.20	0.20
08-कार्यालय व्यय	8.50	8.50

shasanadesh.up.nic.in

09-विद्युत देय	50.00	50.00
10-जलकर/जल प्रभार	33.00	33.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	6.00	6.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	30.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	4.00	4.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.50	0.50
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	21.00	21.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	2.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00
49-चिकित्सा व्यय	27.00	27.00
51-वर्दी व्यय	1.10	1.10
55-मकान किराया भत्ता	107.00	107.00
योग :- 004 (03) मतदेय	3081.30	3081.30
06-खनिज विकास की योजनायें 0602-खनिज विकास की योजनायें		
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	35.00	35.00
13-टेलीफोन पर व्यय	7.00	7.00
42-अन्य व्यय	20.00	20.00
योग 06	62.00	62.00
महायोग 2853 001(03)+004(03+06)	8139.95	8139.95

(रू0 इक्यासी करोड़ उन्तालीस लाख पन्चानबे हजार मात्र)

2- शर्तें/प्रतिबन्ध:-

(1) उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जिन मदों में व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, उनसे सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को भेजे जायेंगे और शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in

(4) वित्त विभाग के शासनोदशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जाए तथा शेष धनराशि नियमानुसार समर्पित कर दी जाय।

(6) धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार निर्गत की जा रही स्वीकृतियों के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-4 के लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना, लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-03-खनिज अन्वेषण एवं लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-06-खनिज विकास की योजनायें के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
दिलीप कुमार शुक्ल
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दिलीप कुमार शुक्ल
उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in